

राजस्थान सरकार  
प्रशासनिक सुधार विभाग  
(अनुभाग-3)

क्रमांक एफ 6(21)प्रसु/अनु. 3/2006 (2)

जयपुर, दिनांक:- 10.5.2010

आदेश

वेभाग समसंख्यक आदेश दिनांक 18.03.2006, दिनांक 08.11.2006, दिनांक 21.07.2009 एवं दिनांक 21.10.2009 के द्वारा गठित कमेटियों को भंग करते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अन्तर्गत संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान के प्रभावी क्रियान्वयन एवं राज्य स्तर अन्तर विभागीय समन्वय हेतु एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन महामहिम राज्यपाल महोदय की आज्ञा से निम्नानुसार एतद् द्वारा किया जाता है :-

1. मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास)	उपाध्यक्ष
3. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
4. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	सदस्य
5. आयुक्त एवं सचिव, पंचायती राज विभाग	सदस्य
6. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
7. आयुक्त एवं सचिव, ईजीएस	सदस्य-सचिव

कमेटी का कार्य राजस्थान राज्य रोजगार गारंटी परिषद को योजना के क्रियान्वयन, मॉनीटरिंग एवं अन्य योजनाओं/विभागों के तालमेल के संबंध में सुझाव देना, क्रियान्वयन की समीक्षा करना, अंतर विभागीय समन्वय को सुनिश्चित करना, जन अभियोग की समीक्षा एवं उनका निपटारा करना योजनान्तर्गत अन्य योजनाओं/विभागों के तालमेल (Convergence) हेतु राज्य स्तरीय राज्य संसाधन समूह के रूप में कार्य करना तथा तालमेल के संबंध में कार्य योजना की समीक्षा करना, योजनान्तर्गत नियोजित श्रमिकों को बीमा योजना के लाभ के संबंध में परीक्षण एवं सुझाव देना, योजनान्तर्गत वार्षिक कार्य योजना के लिए अपनी राय देना, राजस्थान राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा निर्देशित अन्य कार्य सम्पादित करना होगा।

मुख्य सचिव महोदय की व्यस्तता के कारण यदि कमेटी की अध्यक्षता करने में असमर्थ हो तो अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास एवं उक्त दोनों अधिकारियों की व्यस्तता की स्थिति में प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जा सकेगी। समिति आवश्यकतानुसार अन्य सरकारी/अर्द्धसरकारी अधिकारियों को सहयोगित कर सकेगी।


इस समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। परिषद की बैठक आवश्यकता होने पर आयोजित की जा सकेगी। समिति का प्रशासनिक विभाग ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (नरेगा अनुभाग) होगा।

आज्ञा से

  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 2 प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 4 निजी सचिव, मा. राज्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
- 5 निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 6 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास)
- 7 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
- 8 निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग
- 9 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
- 10 निजी सचिव, आयुक्त एवं सचिव, ईजीएस
- 11 परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, ईजीएस, ग्रामीण विकास विभाग को आदेश की अतिरिक्त प्रतियां समस्त संबंधित को वितरण हेतु प्रेषित है।
- 12 रक्षित पत्रावली।

  
अनुष्ठाधिकारी